



2026:AHC:125943

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18832/2026

रूपेश

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संगीता शुक्ला, सुशील कुमार चतुर्वेदी
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार चतुर्वेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर सरन, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को अपराध संख्या- 191/2026, धाराएँ 3(5), 111(2) (बी), 318(2), 319(2), 338, 339, 340(2) भारतीय न्याय संहिता तथा 66घ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना सदर, जिला आगरा, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक अथवा अपराध से संबद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 10 मोबाइल फोन, 7 ए.टी.एम. कार्ड तथा कुछ आधार कार्ड, जिनकी बरामदगी दर्शाई गई है, दस अभियुक्तों,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिनमें आवेदक भी सम्मिलित है, के संयुक्त कब्जे से होना दर्शाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक द्वारा पुलिस के समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि वह साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त था। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 04.04.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और निवेदन किया कि दस अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिनका उपयोग कथित रूप से साइबर अपराधों में किया जाता था।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 10 मोबाइल फोन, 7 ए.टी.एम. कार्ड तथा कुछ आधार कार्ड की बरामदगी आवेदक सहित कुल दस अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से दर्शाई गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक द्वारा पुलिस के समक्ष साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त होने संबंधी कथित स्वीकारोक्ति की गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 04.04.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, साथ ही विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, वर्ष 2025 ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038, तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, वर्ष 2024 ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है। रूपेश

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक रूपेश को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक: 5 जून, 2026

आर.के.एम.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।